भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2857

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

रोपवे निर्माण

2857. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोणः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उन क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में रोपवे के निर्माण पर विचार कर रही है, जहां गहरी घाटियों और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे दुर्गम भूभाग के कारण सड़क निर्माण कठिन और अत्यधिक महंगा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में लोगों और कृषि, बागवानी और वन उत्पादों के परिवहन के लिए रोपवे परियोजनाओं को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों या निजी संस्थाओं के साथ कोई परामर्श या सहयोग शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बागवानी और कृषि-वानिकी गतिविधियों में संलग्न किसानों के लिए रोपवे के लाभों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर मेघालय में अपनी ग्रामीण अवसंरचना विकास योजनाओं में उक्त परियोजनाओं को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं या वित्तीय प्रोत्साहन विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) भारत सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम मील की संपर्कता में सुधार और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक गतिशीलता मोबिलिटी के लिए रोपवे के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - पर्वतमाला परियोजना - की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्कता और सुविधा में सुधार करना है। इसमें भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ पारंपरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली संभव नहीं है।

तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश में तवांग रोपवे परियोजना और असम में कामाख्या रोपवे परियोजना को 60 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) यद्यपि कृषि/बागवानी उत्पादों के परिवहन के लिए रोपवे निर्माण की कोई योजना नहीं है, फिर भी सरकार ने रोपवे अवसंरचना के विकास के लिए एनएचएलएमएल के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है। सरकार को समय-समय पर पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। इन पर निर्णय डीपीआर के परिणाम, मानदंडों की पूर्ति, संपर्कता की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर लिए जाते हैं।

*****